प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्रों के विभिन्न विभागों के 2016–17 की अवधि के किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके; 2016–17 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी, जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

इस प्रतिवेदन में दो भाग सम्मिलित हैं।

भाग–अः आर्थिक क्षेत्र

इस भाग में नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत सम्पादित उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

इस भाग की विशिष्टता निम्नलिखित हैः

1. दिसम्बर 2012 में सहकारिता विभाग द्वारा लागू की गई ऋण माफी योजना–2012 (एलडब्ल्यूएस–2012) की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये–

- ✓ एलडब्ल्यूएस–2012 का उद्देश्य ऐसे छोटे एवं सीमांत किसानों, जिन्होंने ₹ 50,000 तक का ऋण लिया था और मूलधन का कम से कम 10 प्रतिशत चुका दिया था, को लाभ पहुँचाना था। हालांकि, योजना के तर्कों ने राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के उस आदेश (दिसम्बर 2007) का उल्लंघन किया, जिसके द्वारा ऐसे छोटे और सीमांत किसानों के विरुद्ध जमीन की नीलामी के माध्यम से राजस्व वसूली की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी जिनके पास 3.125 एकड़ तक की भूमि हो भले ही उन्होंने ₹ एक लाख तक या अधिक का ऋण लिया हो।
- ✓ एलडब्ल्यूएस–2012 योजना मात्र ऐसे किसानों को लाभ देने के लिए परिकल्पित की गयी थी जिन्होंने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (यूपीएसजीवीबी) से ऋण लिया हो और ऐसे अन्य किसानों को नहीं, जिन्होंने उसी प्रकार के ऋण दूसरे सहकारी एवं पीएसयू बैंकों, ऐसे सहकारी बैंकों सहित जहां उत्तर प्रदेश सरकार के पास अंशपूंजी का महत्वपूर्ण स्वामित्व था, से लिए थे।
- ✓ एलडब्ल्यूएस–2012 से लगभग 7.58 लाख छोटे एवं सीमांत किसान लाभांवित हुए, एवं जिससे राजकोष को वर्ष 2012–16 के दौरान ₹ 1,784 करोड़ का व्यय वहन करना पड़ा। 75 जिलों में से 17 जिलों की नमूना लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि लाभ प्राप्त करने वाले किसानों में से तीन से 18 प्रतिशत तक अपात्र थे, क्योंकि उन्होंने मूलधन का निर्धारित न्यूनतम 10 प्रतिशत तक भी जमा नहीं किया था।
- ✓ इस योजना ने वर्ष 2012 से 2016 के दौरान यूपीएसजीवीबी को लाभप्रद बनने में सक्षम बनाया (अन्यथा, यूपीएसजीवीबी हानि वहन करने वाली इकाई थी)।
- ✓ योजना के नियोजन एवं निष्पादन में हितों के टकराव अन्तर्निहित थे क्योंकि दिसम्बर 2012 तक प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग ने यूपीएसजीवीबी के अध्यक्ष के पद पर भी कार्य किया। तत्पश्चात्, कार्यान्वयन अवधि के दौरान मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग ने बैंक का नेतृत्व किया।

2. निदेशालय, विद्युत सुरक्षा, उत्तर प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1952 का अनुपालन सुनिश्चित कराने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप विद्युत शुल्क और उस पर ब्याज, कुल ₹ 19.38 करोड़ की वसूली न हो सकी।

भाग–बः राजस्व क्षेत्र

इस भाग में नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र के अधीन राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों की प्राप्तियों पर सम्पादित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष शामिल हैं।

इस भाग की विशिष्टता निम्नलिखित हैः

1. वित्त विभाग ने प्रशासनिक विभागों के प्रस्तावों को अनदेखा करके विगत वर्ष के बजट अनुमानों में एकपक्षीय रूप से 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों को निश्चित कर दिया, फलस्वरूप कर एवं करेतर राजस्व के बजट अनुमानों एवं वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता रही। वित्त विभाग ने डी0पी0सी0 एक्ट, 1971 की धारा 18 (1) (बी) और लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के विनियम 181 में प्रतिष्ठापित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश का उल्लंघन करते हुए त्रुटिपूर्ण निर्धारण सम्बन्धी अभिलेखों को लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराने से मना कर दिया।

2. वर्ष 2016–17 की समाप्ति पर राजस्व के पाँच प्रमुख शीर्षों में कुल राजस्व बकाये की धनराशि ₹ 28,070.32 करोड़, वर्ष 2016–17 के लिए राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,14,909.99 करोड़) का 24.42 प्रतिशत था, जिसमें से 42.26 प्रतिशत (₹ 11,863.23 करोड़) बकाया पाँच वर्ष या उससे अधिक की अवधि से वसूली हेतु लम्बित था।

3. दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने से सम्बन्धित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये लोक लेखा समिति के निर्देशों पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क (₹ 843.16 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 453.91 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 1,297.07 करोड़ के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

4. देशी मदिरा की न्यू0प्र0मा0 विगत वर्ष के न्यू0प्र0मा0 से कम निर्धारित किये जाने के कारण शासन ₹ 87.93 करोड़ से वंचित रहा।

5. कर की गलत दर एवं वस्तुओं के गलत वर्गीकरण को लागू करने के फलस्वरूप वाणिज्य कर विभाग द्वारा ₹ 5.75 करोड़ के कर का कम/न आरोपण ।

6. लेखापरीक्षा द्वारा विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समान प्रेक्षणों के बावजूद कर निर्धारण प्राधिकारियों (क0नि0प्रा0) के द्वारा वैट निर्धारण के मामलों में समुचित सावधानी से कार्य नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप धनराशि ₹ 19.28 करोड़ की समान प्रकृति की अनियमितताओं की पुनरावृत्ति हुई।

7. वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के बिना संभाव्यता संचालित 9,852 वाहनों पर स्वस्थता शुल्क ₹ 54.28 लाख को आरोपित करने एवं शास्ति ₹ 3.94 करोड़ के आरोपण में विभाग विफल रहा।

8. परिवहन विभाग असुरक्षित वाहनों के सड़क पर सम्भावित संचालन को रोकने में विफल रहा तथा अतिभारित माल वाहनों पर शास्ति और अपंजीकृत सामान्य वाहकों पर अर्थदण्ड धनराशि ₹ 2.18 करोड़ के आरोपण में भी विफल रहा।

9. कृषि दरों पर आवासीय भूमि का मूल्यांकन करने से स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस ₹ 6.05 करोड़ का कम आरोपण।

10. खनन विभाग सिविल कार्य करने वाले 1,181 ठेकेदारों से खनिज मूल्य की धनराशि ₹ 191.02 करोड़ की वसूली एवं शास्ति ₹ 2.95 करोड़ के आरोपण में विफल रहा।

11. खनन विभाग बिना पर्यावरण मंजूरी के उपखनिजों के उत्खनन पर ₹ 33.75 करोड तथा अनुमोदित खनन योजना के बिना उपखनिजों के उत्खनन पर ₹ 7.71 करोड़ की वसूली करने में विफल रहा।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखा के विनियमों तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।